न्यायालयः— अपर जिला न्यायाधीश, बुदनी, जिला—सीहोर (म.प्र.)
(समक्ष :— अभिषेक गौड़)

विविध अपील क्र.—06/2018
Filing No.-MCA/135/2018
CNR No.-MP37060005182018
Filing Date-01-11-2017

शकुनबाई आयुः— 40 वर्ष
पत्नि ब्रजलाल कीर, निवासीः— ग्राम उंचाखेड़ा
तहसील बुदनी जिला सीहोर म.प्र.
———————— अपीलार्थी/वादी

—:: विरूद्ध ::—

1. श्रीराम आयुः— 60 वर्ष,
आत्मज रामप्रसाद जाति कीर
निवासीः— ग्राम उंचाखेड़ा तहसील बुदनी
जिला सीहोर म.प्र.

2. मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा— जिला कलेक्टर, जिला—सीहोर (म.प्र.)
———— अप्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बुदनी जिला— सीहोर (म.प्र.) श्री अजीत कुमार तिर्की के न्यायालय के नियमित व्यवहार वाद क्रमांक (C.S.No.13a/17, Filing No.-RCSA/38/2017 CNR No.-MP3705004782017 & Filing Date-18-05-2017) में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 से उद्भूत विविध अपील।

—:: आ दे श ::—
(आज दिनांक 24.12.2018 को पारित)

1— अपीलार्थी ने यह विविध व्यवहार अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बुदनी जिला सीहोर (श्री आदित्य रावत) द्वारा व्यवहार वाद क्र.— 13ए/17 (श्रीराम विरूद्ध शकुनबाई व अन्य) में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 से असंतुष्ट होकर पेश की है, जिसके द्वारा प्रतिअपीलार्थी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3— अपील में सुविधा की दृष्टि से आगे 'अपीलार्थी' को **प्रतिवादी** एवं प्रतिअपीलार्थी क्र.—1 व को **वादी** के रूप में सम्बोधित किया जा रहा है।

4— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी तहसील बुदनी के ग्राम उंचाखेड़ा स्थित खसरा क्रमांक 42/2 रकबा 0.032 हेक्टेयर का स्वत्व एवं अधिपत्यधारी है। उक्त भूमि के पूर्व में ग्राम उंचाखेड़ा की आबादी भूमि, पश्चिम में प्रतिवादी शकुनबाई की भूमि, उत्तर में छोटेलाल की भूमि, दक्षिण में प्रतिवादी की भूमि है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व आबादी भूमि में स्थित मकान को वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 शकुनबाई के पति स्वर्गीय ब्रजलाल को विक्रय किया था। दिनांक 07.05.2017 को प्रतिवादी शकुनबाई वादग्रस्त स्थल से लगे आम के पेड़ से आम के फल तोड़ रही थी। वादी द्वारा मना करने पर शकुनबाई झगड़ा करने को आमादा हो गई और कहने लगे कि बाड़ा भी उसने खरीदा है, इसलिए आम उसके हैं। फिर वादी द्वारा आरक्षी केन्द्र बुदनी में इस संबंध में रिपोर्ट की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। दिनांक 14.05.2017 को भी प्रतिवादी द्वारा बलपूर्वक बागड़ करना शुरू कर दिया, मना करने पर वह बलात्कार का आरोप लगाकर वादी को जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा दिनांक 15.05.2017 को पुलिस थाने पर की गई थी किन्तु उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए वादी के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 42/2 रकबा 0.032 हेक्टेयर पर अपने अधिपत्य की रक्षा हेतु स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् यह वाद प्रस्तुत किया है।

5— अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के माध्यम से वादी ने यह प्रकट किया है कि स्थापित अधिपत्य के आधार पर उसका मामला प्रथम दृष्टया सबल है और सुविधा का संतुलन भी उसके ही पक्ष में है। प्रकरण के अंतिम निराकरण के पूर्व यदि वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो उसका यह वाद प्रस्तुत करना ही निष्फल हो जावेगा। अतः प्रकरण के अंतिम निराकरण तक भूमि खसरा क्रमांक 42/2 रकबा 0.032 हेक्टेयर में से 0.016 हेक्टेयर स्थित ग्राम उंचाखेड़ा पर वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं किए जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2017 को प्रस्तुत किया गया है।

6— प्रतिवादी क्रमांक 1 शकुनबाई ने अपने लिखित जवाब में आवेदन के समस्त अभिवचनों से इंकार करते हुए कहा है कि उसके पति ब्रजलाल ने खसरा क्रमांक 42/2 रकबा 0.032 हेक्टेयर में से 0.016 हेक्टेयर तथा इसी भूमि से लगी आबादी भूमि 30 गुणित 40 अर्थात् 1200 वर्गफीट भूमि विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1999 के माध्यम से क्रय की थी, तभी से उनका वादग्रस्त भूमि पर अधिपत्य बना हुआ है। विधवा होने का फायदा उठाकर आवेदक उसके स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि से बलपूर्वक बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में आज दिनांक को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का ही कब्जा है, अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावें।

7— अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को दिनांक 20.09.2017 को आदेश पारित कर निराकरण किया गया है। आदेशानुसार वादी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की गई है।

8— प्रतिवादी ने उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील निम्न आधारों पर पेश

गई है कि :– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। विधि के प्रतिपादित सिद्धांतो का अनुसरण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही वादी का अधिपत्य मानते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सम्भावनाओं के आधार पर है, आवेदन पत्र को प्रमाणित करने का भार वादी (प्रतिअपीलार्थी क्रमांक 1) पर था, किन्तु विद्यवान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर उचित निष्कर्ष निकलने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। इसलिए अपील स्वीकार की जावे, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपास्त किया जावें।

9– प्रतिअपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि–सम्मत होना तर्क में व्यक्त किया गया है। प्रतिअपीलार्थी क्रमांक के 1 द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका ही अधिपत्य चला आ रहा है और उसके अधिपत्य की रक्षा की जाना आवश्यक है। अतः अपील निरस्त की जावें।

10– इस अपील के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न है कि :–

1. **क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 विधि एवं तथ्य के अनुकूल है अथवा नहीं ?**

–:: <u>विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष</u> ::–

11– वादी के द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के समर्थन में वादी की ओर से स्वयं व साक्षी बृजलाल, मोहन, हुकुमचन्द्र तथा छोटेलाल के शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में स्वयं के शपथपत्र के अतिरिक्त साक्षी रामप्रसाद, जगदीश व रामसिंह के शपथपत्र एवं विक्रयनामा दिनांक 30.12.1999, ब्रजलाल का मृत्युप्रमाण पत्र, पंचों का पंचनामा, थाने पर की गई रिपोर्ट दिनांक 13.05.2017, तहसीलदार रेहटी का कब्जा आवेदन, राजस्व खसरा दिनांक 10. 10.2017 व वादग्रस्त स्थान के छायाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं।

12– यदि विद्धवान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 का अवलोकन किया जावें, तो यह दर्शित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश के चरण क्रमांक 5 में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो वादग्रस्त भूमि पर उसका वैधानिक कब्जा प्रकट करता हो। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह न्यायालय उक्त निष्कर्ष को विधिसम्मत नहीं पाता है, क्योंकि यह स्थापित विधि है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण के समय वादी को उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेख के आधार पर अपना पक्ष प्रमाणित करना होता है, वादी का पक्ष इसलिए प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी अपना कब्जा प्रमाणित करने में असफल रहा है। न्यायालय के उक्त मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त **पीएच दयानंद विरूद्ध एस. वेणुगोपाल 2009 (3) एमपीएलजे 316 (एससी)** से होता है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि

वादी को अपना मामला स्वयं प्रमाणित करना होगा तथा उसका आवेदन मात्र इस आधार पर आज्ञाप्ति नही किया जा सकता है कि प्रतिवादी अपना टाईटल/बचाव प्रमाणित करने में असफल रहा है।

13— इसलिए अब यह देखा जाना है कि क्या आवेदन प्रस्तुति दिनांक को वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्थापित अधिपत्य था? इस संबंध में वादी की ओर से साक्षीगण के जो शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उनके अवलोकन से दर्शित होता है कि जिन कृषकगण के शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं, वे एक स्वर में यह अभिकथन करते हैं कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का अधिपत्य नहीं है तथा वह उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है किन्तु उक्त शपथपत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि उक्त भूमि पर श्रीराम का स्थापित अधिपत्य चला आ रहा है। निश्चिय ही वादी को सारवान साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित करना है कि विवादित भूमि पर लम्बे समय से उसका अधिपत्य रहा है, किन्तु वादी की ओर से मात्र शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं उक्त शपथपत्र के अभिकथन मात्र के आधार पर ही विवादित भूमि पर वादी का लंबे समय से चला आ रहा अधिपत्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र के खंडन स्वरूप प्रतिवादीगण की ओर से भी साक्षीगण के शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो विरोधाभासी स्वरूप के हैं, इसलिए परस्पर विरोधाभासी शपथपत्र अभिलेख पर होने से किसी भी पक्ष के शपथपत्र को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

14— यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी की ओर से वादग्रस्त स्थान के संबंध में स्वयं के छायाचित्र प्रस्तुत किए हैं। उक्त छायाचित्र में प्रतिवादी वादग्रस्त स्थान पर खड़ी दिखाई दे रही है। यदि उक्त छायाचित्र का अवलोकन किया जावें तो यह दर्शित होता है कि छायाचित्र अनुसार विवादित भूमि खुली भूमि है और उक्त खुली भूमि के आधार पर ही किसी का अधिपत्य स्थापित नहीं माना जा सकता है। वादी को सारवान साक्ष्य के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर अपना स्थापित अधिपत्य प्रमाणित करना था, किन्तु मात्र पड़ोसी कृषकगण के शपथपत्र के आधार पर वादी का स्थापित अधिपत्य वादग्रस्त भूमि पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब वादी स्वयं विवादित भूमि से लगी आगे की भूमि प्रतिवादी के पति ब्रजलाल को विक्रय करना स्वीकार करता है। अस्तु यह न्यायालय वादी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र व दस्तावेजी तथा प्रतिवादी के खंडन शपथपत्र व दस्तावेज के अवलोकन उपरांत स्थापित अधिपत्य के अभाव में वादी का मामला प्रथम दृष्टया सबल नहीं पाता है।

15— तर्क के लिए यदि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष विधिसम्मत भी पाए जाए तो भी यह दर्शित होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सुपर केसेट्स इंड्स्ट्रीज विरूद्ध म्यूजिक ब्रण्ड कास्ट प्राइवेट लिमिटेड** (2012) 5 एस.सी.सी. 488 पैराग्राफ 67 व 68 तथा **बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड विरूद्ध दीनबंधु मजूमदार व अन्य** ए.आई.आर 1995 एस.सी. 1499 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त दोनों न्याय दृष्टान्त ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के दौरान न्यायालय को (अति अपवादित परिस्थिति जिसका उल्लेख

विशेष रूप से आदेश में किया गया हो, को छोड़कर) ऐसे आदेश प्रसारित नहीं करना चाहिए जो उस प्रकरण में प्रार्थित अंतिम सहायता ही हो। उक्त मत का माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **अशोक बाजपेयी विरूद्ध डॉक्टर रंजना बाजपेयी** ए.आई.आर. 2004 इलाहाबाद 107 में भी अनुसरण किया गया है।

16– हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है तथा कार्यवाही के इस प्रक्रम पर यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की गई तो निश्चित ही प्रार्थित अंतिम सहायता को अंतरिम सहायता के रूप में दिया जावेगा, जो निश्चित ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत होगा, उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय द्वारा ऐसी कोई अति विषम परिस्थिति अभिलेख पर नहीं पाई है, जिसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित मत के विपरीत निष्कर्ष निकाला जा सकें। अस्तु उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के आलोक में भी वादी का मामला प्रथम दृष्टया सबल नहीं पाया जाता है।

17– अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह पाया जाता है कि उपरोक्त आधारों पर प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में न होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी आवेदक वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। अतः तीनों ही सुस्थापित बिन्दुओं के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष प्रतिकूल होना पाया जाता है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

18– परिणामस्वरूप अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत यह विविध व्यवहार अपील **स्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 बुदनी जिला सीहोर (श्री आदित्य रावत) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक–13ए/17 (श्रीराम विरूद्ध शकुनबाई व एक अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसारित अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है।

19– उभयपक्ष अपना–अपना अपील व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा प्रमाण पत्र अनुसार जो भी कम हो देय हो। तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर व दिनांकित कर पारित किया गया।

(अभिषेक गौड़)
अपर जिला न्यायाधीश
बुदनी जिला–सीहोर (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(अभिषेक गौड़)
अपर जिला न्यायाधीश
बुदनी जिला–सीहोर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र./ /2018 बुदनी, दिनांकः 19.12.2018

प्रतिलिपिः–

1. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 बुदनी जिला सीहोर (श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय) को व्यवहार वाद क्रमांक– 13ए/17 (श्रीराम विरूद्ध शकुनबाई व एक अन्य) की ओर आदेश की प्रति सहित मूल व्यवहार वाद अवलोकनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभिषेक गौड़)
अपर जिला न्यायाधीश